①+②+③

3108 1/c 34/2012

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 413180

9 JAN

1

थाई - मैथलीशरण गुप्त

स्टाम्प - 1000/-

ट्रस्ट विलेख

यह विलेख आज दिनांक 23 जनवरी 2012 को लखनऊ में अंगद कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ बख्श सिंह निवासी-20/177, इन्दिरा नगर, लखनऊ एवं उनके उत्तराधिकारियों, वंशजों एवं उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के द्वारा किया गया जिन्हें आगे पक्षकार कहा गया है।

Chief Trustee
Jagannath Bux Singh (JBS) Memorial Trust
20/177, Indira Nagar, Lucknow

यह कि पक्षकार एक पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट बनाने का इच्छुक है जो जन सामान्य के हितों के लिये समान्यतः कार्य करेगा।

पक्षकार ने ट्रस्ट बनाने के उद्देश्य से रू0 11,000/- (कॉरपस फंड के रूप में) अलग से रख दिया है।

पक्षकार/पक्षकारों एवं गवाहों की मौजूदगी में निम्नलिखित विलेख लिख दिया ताकि सनद रहे-

1. यह कि पक्षकार भी प्रथम ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगा।
2. यह कि ट्रस्ट का नाम "जगन्नाथ बख्श सिंह (जे0बी0एस0) मेमोरियल ट्रस्ट" होगा जो किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
3. यह कि ट्रस्ट का कार्यालय 20/177, इन्दिरा नगर, जिला लखनऊ (उ0प्र0) तथा ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।
4. यह कि निम्नलिखित व्यक्ति ही उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी के रूप में कार्य कर सकेंगे-

I. अंगद कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ बख्श सिंह
मुख्य ट्रस्टी, निवासी-20/177, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

II. श्रीमती पूनम सिंह पत्नी श्री अंगद कुमार सिंह
उप मुख्य ट्रस्टी, निवासिनी-20/177, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

III- आकाश सिंह पुत्र श्री अंगद कुमार सिंह
ट्रस्टी, निवासी-20/177, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

IV. उदय भान सिंह पुत्र श्री तेज बहादुर सिंह
ट्रस्टी, निवासी-बृज इन्क्लेव सुन्दरपुर वाराणसी।

V. रंगनाथ सिंह पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ बख्श सिंह
ट्रस्टी, निवासी-ग्राम-फुसफर, दरियाबाद, बाराबंकी।

Chief Trustee
Jagannath Bux Singh (JBS) Memorial Trust
20/177, Indira Nagar, Lucknow

जिसमें अंगद कुमार सिंह, पक्षकार मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे।

5. यह कि पक्षकार ने कुल रूपया 11,000/- उपरोक्त चैरिटेबिल ट्रस्ट के पक्ष में इस विलेख के लिखे जाने पर उसके ट्रस्टी को ट्रस्ट के प्रारम्भिक कॉरपस कोश के रूप में दे दिया है जिसे आगे ''ट्रस्ट फण्ड'' के नाम से जाना जायेगा।

6. यह कि सभी ट्रस्टी सदैव इस ट्रस्ट फण्ड को और जो समय-समय पर दान दाताओं द्वारा दिया जायेगा और उपरोक्त बिन्दु 5 में वर्णित है, को उन सभी कार्यों में विनियोजित कर सकते हैं जिनसे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

7. यह बात मुख्य रूप से उल्लिखित है कि ट्रस्ट फण्ड का विनियोजन ट्रस्टियों द्वारा सदैव ट्रस्ट के नाम से ही किया जायेगा।

8. यह कि ट्रस्ट द्वारा प्राप्त आय जो ट्रस्ट फण्ड से प्राप्त होगी अथवा सभी प्राप्त सहयोग राशियों (जो मुख्य रूप से ट्रस्ट फण्ड के रूप में न भी हों) को निम्नलिखित कल्याणकारी उद्देश्यों हेतु गरीब एवं निर्धन जन-सामान्य के हित में प्रयुक्त की जायेगी जिसमें किसी धर्म, जाति, वंश, समाज, वर्ग का कोई विभेदन नहीं होगा। ट्रस्टी अथवा ट्रस्टियों में से किसी और को पूर्ण निपेक्षता रखनी होगी और ऐसा कोई अधिकार कदापि नहीं होगा कि वह किसी धर्म, जाति, वंश, समाज, वर्ग विशेष पर ट्रस्ट का कल्याणकारी फण्ड व्यय कर सके।

ट्रस्ट के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

i) ट्रस्ट राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की संरक्षता एवं स्कूलों, कालेजों, मेडिकल शिक्षण संस्थान, टेक्निकल शिक्षण संस्थान, लाइब्रेरियों, रीडिंग रूम, विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं शोध केन्द्रों को स्थापित करने, चलाने, मदद, अनुदान व वित्तीय सहायता

Chief Trustee
Jagannath Bux Singh (JBS) Memorial Trust
20/177, Indira Nagar, Lucknow

x) पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य करना।

xi) स्वच्छ पेयजल, जल संरक्षण एवं बरसाती पानी (जल संचयन) को जमा करने के लिए कार्य करना।

xii) अन्य संस्थाओं एवं चैरिटेबिल ट्रस्टों की गतिविधियों में सम्मिलित होना अथवा उनका सहयोग लेना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप हों।

xiii) कृषि से संबन्धित आधुनिक व वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देना एवं कृषकों की इन विधियों में ट्रेनिंग देना, ऊसर एवं बंजर भूमि संरक्षण करके कृषि योग्य बनाना, फसल की पैदावार को बढ़ाना एंव गुणवत्ता विकास का प्रयास करना।

xiv) ऐसी सभी गतिविधियों के संचालन हेतु हर सम्भव प्रयास करना जो जनसामान्य के लिए उपयोगी हों तथा जिन्हें ट्रस्टी द्वारा निश्चित किया गया हो।

xv) अल्पसंख्यक एवं कमजोर तपके के बालक एवं बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास करना, बाल श्रमिकों के उत्थान एवं उनमें व्याप्त अशिक्षा एवं कुपोषण को दूर कर उनके स्वावलम्बन के कार्यक्रम लागू कराना।

xvi) जन साधारण के बच्चों को शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों, बालिका विद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा दिलाने की समुचित व्यवस्था करना तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय/तकनीकी संस्थान इत्यादि संचालित करना, शिक्षा का प्रचार-प्रसार, उन्नयन, प्रबन्धन, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा,

Chief Trustee
Jagarnath Bux Singh (JBS) Memorial Trust

गैर तकनीकी शिक्षा, विधि शिक्षा इत्यादि संचालित कराकर बालक बालिकाओं की पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था करना।

xvii) ज्ञानवर्धन हितार्थ निःशुल्क पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, धर्मार्थ चिकित्सालय, अनाथालय, वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम, शिशु पालन गृह, बालवाड़ी, आगंनबाड़ी की स्थापना करना।

xviii) ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेय जल एवं भूमि प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

xix) प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिकता शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रतियोगात्मक शिक्षा, टाइप व शार्ट हैण्ड, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक शिक्षा दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना तथा लोगों को कम्प्यूटरीकृत शिक्षा द्वारा प्रशिक्षित करना।

xx). पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण टीकाकरण, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, पुष्टाहार, जनसंख्या नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन, सामाजिक बानिकी, दहेज उन्मूलन, हरियाली कार्यक्रम, वेश्यावृति उन्मूलन, ऊसर, बंजर भूमि सुधार, बागवानी विकास, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, पशु पक्षी संरक्षण, गौ-संरक्षण, भूमि एवं जल प्रबन्धन, पशुपालन आदि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

xxi). समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद-प्रतिवाद प्रतियोगिता, जागरूक शिविर, स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविरों की व्यवस्था व आयोजन करना।

xxii) समाज के मूक-बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों निराश्रितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासी

Chief Trustee
Jagannath Bux Singh (JBS) Memorial Trust
20/177, Indira Nagar, Lucknow

जनजाति, अल्पसंख्यक दलितों, पिछड़ी जातियों, बेरोजगारों एवं शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान सम्बन्धी कार्य करना।

xxiii) बालक-बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तकला, शिल्पकला, ललितकला, संगीत, नृत्य थियेटर अभिनय फोटोग्राफी, क्रियेटिव, राइटिंग, फैशन-शो एवं डांस प्रतियोगिता फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, चिकन, जरी, डाल मेकिंग, फ्लावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, स्क्रीन प्रिन्टिंग, आफसेट प्रिंटिंग, पेन्टिंग, वाल पेटिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमे स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

xxiv) समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय व राज्य समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बाल एवं महिला कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

xxv) बौद्धिक विकास हेतु समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, जागरूक शिविर, स्वास्थ्य शिविर, राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भावना शिविरों का आयोजन करना।

xxvi) वृक्षा रोपण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं पर्यावरण प्रदूषण निवारण हेतु हर सम्भव प्रयास करना।

xxvii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग, निराश्रित, अल्पसंख्यक शिक्षित बेरोजगारों के कल्याण हेतु कार्य करना। जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने की जनता में भावना जागृत करने हेतु विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

Jagannath Bux Singh (JBS)

xxviii)मलिन बस्तियों का उत्थान, अल्पसंख्यक, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ी जाति आदि के लोगों के सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करना व हैण्डलूम का प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाना।

xxix) खादी तथा ग्रामोद्योग उ0प्र0, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग कमीशन की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योग की स्थापना, प्रचार-प्रसार एवं संचालन करना।

xxx)राज्य सरकार/केन्द्र सरकार, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय कपार्ट अवार्ड, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जिला उद्योग केन्द्र, कृषि विभाग, स्थानीय निकायों, समाजसेवी संस्थाओं, दानशील व्यक्तियों एवं अन्य श्रोतों से दान, अनुदान, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हेल्पेज इण्डिया, आक्सफेम इण्डिया केयर द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।

xxxi). एड्स, कैंसर, टी0बी0, हेपेटाइटिस, मधुमेह आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना।

xxxii) दैवीय आपदा से पीड़ित लोगों के लिए हर सम्भव प्रयास व मदद करना।

xxxiii)परिवार नियोजन, मद्यनिषेध, दहेज प्रथा उन्मूलन निःशुल्क टीकाकरण, पोलियो ड्राप, सामाजिक कुरीतियों के निवारण हेतु प्रचार-प्रसार करना।

Chief Trustee
Jagannath Bux Singh (JBS) Memorial Trust
20/17, Indira Nagar, Lucknow

xxxiv)चिकित्सा शिक्षा, होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाएं स्थापित कर बालक-बालिकाओं को शिक्षित करना तथा इसका प्रचार-प्रसार करना तथा शिक्षा संस्थानों की स्थाना राज्य सरकार की पूर्वानुमति के पश्चात करना।

9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्टियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूमि क्रय कर सकें जिस पर कृषि, कृषि सम्बन्धी कार्य, भवन निर्माण, रैन बसेरा, निर्धन आवास आदि का निर्माण करके किराये पर उठाया जा सके जो आय मुख्य रूप से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ती के लिए ही होगी। ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्टियों को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वे भूमि/भवन को लीज़ पर अथवा किराये पर अथवा दान-स्वरूप प्राप्त करें। सभी अचल सम्पत्तियों का इस्तेमाल ट्रस्टियों के द्वारा केवल ट्रस्ट के कार्यों अथवा विकास के लिए ही किया जायेगा। और उनको यह अधिकार भी प्राप्त होगा कि वे उक्त अचल सम्पत्ति अथवा सम्पत्तियों को "जैसा है वैसी ही" की हालत में अथवा उसमें सुधार करवाकर लीज़ पर उठा सकता है अथवा किराये पर भी दे सकता है।

10. ट्रस्ट की आय को कोई भी ट्रस्टी स्वयं अपने या किसी भी पक्षकार पर या अपने परिवार के किसी सदस्य पर उनके द्वारा किए गए विशेष कार्यों/योगदान के मानदेय परिवार के किसी सदस्य को छोड़कर अन्य किसी रूप में व दशा में नहीं कर सकेगा।

11.क. वर्तमान में ट्रस्ट के कुल सात (5) ट्रस्टी है जैसा कि ऊपर पैरा 4 में उल्लेखित है और अंगद कुमार सिंह उनमें से मैनेजिंग ट्रस्टी रहेंगे। ट्रस्ट का संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी की सलाह एवं

Chief Trustee
Jagannath Bux Singh (JBS) Memorial Trust
20/177, Indira Nagar, Lucknow

मार्गदर्शन में ही किया जायेगा। यदि अंगद कुमार सिंह अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं अथवा ज्यादा समय के लिए देश से बाहर चले जाते हैं। तो मुख्य ट्रस्टी के द्वारा नामित व्यक्ति की ट्रस्ट का सारा कार्यभार देखेगा और वही मुख्य ट्रस्टी कहलाएगा एवं उप मुख्य ट्रस्टी से सलाह मशविरा करके ट्रस्टी के आने तक ट्रस्ट का संचालन करेगा।

ख. यदि ट्रस्टियों में आपस में विवाद होता है तो मुख्य ट्रस्टी को सभी विवादों का निस्तारण करने का मुख्य अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का ही निर्णय सर्वमान्य होगा। और उसके द्वारा निर्णय का किसी भी ट्रस्टी को कही भी चुनौती देने का कोई अधिकार नही होगा।

ग. मुख्य ट्रस्टी नियुक्त होने पर उसको अपने उत्तराधिकारी की लिखित घोषणा अपने जीवनकाल में कर देनी होगी ताकि आकस्मिक दुर्घटना अथवा निधन अथवा विकलांगता के समय किसी तरह का विवाद ट्रस्टियों में उत्पन्न न हो।

घ. यदि ट्रस्टीयों में से कोई ट्रस्टी ट्रस्ट में किसी पद पर व उस पद को संभालता हो तो उसे, उसके पद के अनुसार वेतन दिया जा सकता है।

12. किसी भी ट्रस्टी के त्यागपत्र अथवा, निधन की दशा में उसकी जगह की पूर्ति दूसरे व्यक्ति से की जायेगी जो वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी के वंशजो/उत्तराधिकारियों में होना जरूरी नही होगा। इसके अलावा अन्य किसी बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति भी की जा सकेगी।

13. कोई भी ट्रस्टी ट्रस्ट से पदमुक्त होने के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी को 1 माह की नोटिस देकर मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा उसे स्वीकार किये

Chief Trustee
Jagannath Ban Singh (JBS) Memorial Trust
20/177, Indira Nagar, Lucknow

जाने के उपरान्त ही पदमुक्त हो सकता है। ऐसा होने की दशा में उसकी जगह की पूर्ति बाकी पांच ट्रस्टियों के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से की जायेगी जैसा कि पैरा 12 में उल्लिखित है।

14. यदि किसी भी समय किसी ट्रस्टी का चरित्र अथवा कोई कार्य ट्रस्ट के उद्देश्यों के खिलाफ़ पाया जाये तो ऐसी दशा में जरूरी होने पर उसका ट्रस्ट से निष्कासन मुख्य ट्रस्टी के द्वारा किया जा सकेगा।

15. बैंक खाता/खाते सदैव ट्रस्ट के नाम से एक या कई जगहों पर जैसा ट्रस्टी चाहे, खोला जा सकता है। सभी बैंक एकाउण्टों का संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी की अस्वस्थ्यता, देश से बाहर होने की दशा में उसके द्वारा नामित व्यक्ति बैंक संचालन कर सकेगा।

16. उपरिलिखित सभी निवेश ट्रस्टी द्वारा केवल ट्रस्ट के नाम से किये जायेंगे। बहुत जरूरी होने पर मैनेजिंग ट्रस्टी के नाम निवेश किसी भी दशा में ट्रस्ट के हित में एवं केवल आसानी के लिए किया जा सकता है लेकिन इससे मैनेजिग ट्रस्टी को किसी भी दशा में ट्रस्ट का मालिकाना हक़ प्राप्त नही होगा।

17. ट्रस्टियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे ट्रस्ट के नाम से दान, चल एवं अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट के नाम पर ही प्राप्त कर सकें। दान यदि मुख्य रूप से ट्रस्ट फण्ड में न देकर किसी अन्य मद में अर्जित किया गया है तो उन्हें केवल ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

18. क.ट्रस्ट के खातों का रख-रखाव नियमानुसार भली-भांति किया जाना चाहिए। हर वित्तीय वर्ष के समापन पर बैलेन्स शीट बनवाई जायेगी। पहली बैलेन्स शीट वित्तीय वर्ष के समयानुसार

Chief Trustee
Jagannath Bux Singh (JBS) Memorial Trust
B/177, Indira Nagar, Lucknow

दिनांक 31/03/2012 को बनायी जायेगी। ट्रस्टियों को यह अधिकार होगा कि मात्र ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी वांछित खर्च कर सकते हैं। मैनेंजिग ट्रस्टी एकाउन्ट एवं बैलेन्सशीट के फाइनल करने हेतु वर्ष में कम से कम एक बार सामान्य मीटिंग करेगा जिसमें कम से कम चार व्यक्तियों का होना अनिवार्य है जो बैलेंसशीट का परीक्षण करके उसे स्वीकार करेंगे।

ख. मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु समय-समय पर सभी वित्तीय एवं कानूनी जानकारी प्राप्त करेगा। आवश्यकता होने पर आयकर अधिनियम की धारा 12 ए/80 जी में छूट के लिए तथा एफ0सी0आर0ए0 के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण कराएगा।

19. ट्रस्ट के भंग होने की दशा में ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति को ट्रस्टियों में बराबर बांटा जा सकता है अपितु सभी सम्पत्तियों को किसी अन्य ट्रस्ट में विलय कर दिया जायेगा जिसके उद्देश्य इस ट्रस्ट के अनुरूप हों।

20. ट्रस्टियों को यह अधिकार है कि वे किसी अन्य उन सभी चैरिटेबल ट्रस्ट अथवा संस्थानों, संस्थाओं व संगठनों में मैनेजमेन्ट का पद संभाल सकते है जिनका उद्देश्य किसी भी दशा में इस ट्रस्ट-डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्यों के खिलाफ न हो।

21.क. ट्रस्टियों को किसी भी दशा में कोई वेतन अथवा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यदि उन्होंने कोई भी खर्च ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने पास से जरूरत पड़ने पर किया है। जिसमें ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति, एकाउण्ट रखने, मुद्रण, कानूनी खर्च इत्यादि सम्मिलित हैं, ऐसे खर्च में उपयोग की गई धनराशि को वह ट्रस्ट के द्वारा प्रतिपूर्ति करके प्राप्त कर सकते हैं।

Chief Trustee
Jagannath Bux Singh (JBS) Memorial Trust
20177, Indira Nagar, Lucknow

v) सरकारी एवं गैरसरकारी एजेन्सियों, स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय दातव्य संगठनों/ संस्थाओं, वित्तीय व कारपोरेट संस्थाओं से सहायता प्राप्त करके इन्सटीट्यूशन्स, शोध अध्ययन, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त करना जिससे गरीबों, महिलाओं, बेसहारा, परिदब्य समूहों एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के मेहनती लोगों की सामाजिक आर्थिक प्रगति की जा सके।

vi) प्राविधिक मार्गदर्शन, प्रबन्धकीय एवं संगठनात्मक विकास संबंधित जानकारी प्रदान करना एवं इस कार्य हेतु लगी एजेन्सियों, व्यक्तियों की सहायता करना जो गरीबी उन्मूलन के लिए प्राकृतिक संसाधनों, स्वास्थ्य वैकल्पिक उर्जा, संगठनात्मक ढांचे का सशक्तिकरण, शिक्षा, पर्यावरण, सामूदायिक संगठन के क्षेत्र में कार्यरत है और जिन अन्य गतिविधियों से खुशहाल, स्वाभिमानी समाज की स्थापना एवं मानव विकास किया जा सकेगा।

vii) कानूनी दायरे में रहकर इस प्रकार के विकास का कल्याणकारी कार्य करना चाहे वे अकेले करना पड़े अथवा दूसरे संगठनों के साथ में, जिनसे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

viii) एड्स, कैंसर, टी0बी0 आदि बीमारियों के बचाव, उपचार के बारे में जनसामान्य में जानकारी प्रदान करना, मरीजों को वित्तीय, नैतिक एवं सामाजिक सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना।

xi) चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण से संबंधित कार्य में लगी सरकारी संस्थाओं व गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना और एड्स एवं कैंसर एवं अन्य स्वास्थ्य से सम्बन्धित उपचार के लिए हास्पिटल खोलना एवं चलाना एवं उन रिसर्च संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करना जो इन भयावह बीमारियों को दूर करने के लिये कार्य कर रही हैं।

Chief Trustee
Jagannath Bux Singh (JBS) Memorial Trust
3D/177, Indira Nagar, Lucknow

देने एवं देश या विदेश के अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों व स्टाफ के हित में और जनसामान्य में शिक्षा के प्रचार-प्रसार, प्रगति, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सामाजिक विकास के लिये कार्य करना।

ii) विद्यार्थियों के लिए अभिवृत्तियाँ स्थापित करना एवं उनका रख-रखाव बनाये रखना, विद्यार्थियों को अन्य सहायता प्रदान करना जिसमें किताबें, भत्ते, छात्रवृत्ति, मेडल और शिक्षा के लिए पुरस्कार आदि सम्मिलित हैं। यह शैक्षिक सहायता एवं प्रोत्साहन बिना किसी धर्म, जाति, वंश, रंग, लिंग के आधार पर भेद-भाव न करते हुए सभी पात्रों को दिया जाएगा।

iii) अल्पसंख्यक गरीबों, महिलाओं, बेसहारा, एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के परिदन्य समूहों के लोगों को माइक्रो-फाइनेन्स एवं अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे कि वे अपनी गरीबी मिटा सकें, व स्वय सहायता व आत्म निर्भरता प्राप्त करके अपने रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठा सकें, उनका व उनके बच्चे, परिवार के अन्य सदस्यों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो एवं उनका भविष्य उज्जवल हो सके।

iv) अल्पसंख्यक गरीबों, महिलाओं, बेसहारा, एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के परिदन्य व मेहनती लोगों को बीमा, पेन्शन, स्वास्थ्य रक्षा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ कराना, दूसरे अन्य वैकल्पिक गतिविधियों जैसे पशुपालन, स्वयं सहायता समूह व स्थानीय विपणन एवं रोजगार में बढ़ावा देना एवं अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे कि उनकी, उनके बच्चों एवं परिवार की गरीबी मिट सके एवं उनके रहन-सहन का स्तर ऊपर उठ सके।

Chairman
Jagannath Bux Singh (JBS) Memorial Trust
2/177, Indira Nagar, Lucknow

ट्रस्टियों को ट्रस्ट के कार्यों की पूर्ति के लिए स्टाफ रखने की अनुमति है। यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट में किसी पद पर कार्य करेगा तो उसको वेतन प्राप्त होगा।

ख. ट्रस्ट किसी भी समय आवश्यकतानुसार नियम बनाकर अपने उद्देश्यों को पूर्ति कर सकती है एवं आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर नियमों में बदलाव, कमी अथवा बढ़ावा भी कर सकती है। ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यदि आवश्यक होगा तो मुख्य ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह उक्त कार्य के लिए ट्रस्ट से धन दे सकता है।

22. मैनेजिंग ट्रस्टी को ट्रस्ट के बचाव में आवश्यकता पड़ने पर यह अधिकार है कि वह सभी कानूनी कार्यवाहियों का संचालन ट्रस्ट के हित में कर सकता है जिसमें वाद दाखिल करना व बचाव आदि काम शामिल हैं। प्रत्येक दशा में वादों के निस्तारण का क्षेत्राधिकार मात्र लखनऊ क्षेत्र ही होगा।

23. ट्रस्ट के सुदृढ़ संचालन हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी समय अपना कोई भी अधिकार किसी भी ट्रस्टी को दे सकता है।

24. मैनेजिंग ट्रस्टी को मिलाकर ट्रस्टियों की कम से कम संख्या दो (2) एवं अधिक से अधिक संख्या बारह (12) हो सकती है।

25. किसी भी दशा में ट्रस्टियों का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा लेकिन ट्रस्टियों को सदैव जनसामान्य के हितों को ध्यान रखकर ही सारे निर्णय व कार्य सम्पन्न करने होंगे एवं ट्रस्ट फण्ड एंव आय या उसका कोई भी हिस्से का व्यय अथवा नियोजन ट्रस्ट-डीड व उसकी भावना के उद्देश्यों के विपरीत नहीं किया जा सकता है, जैसा कि इस विलेख में लिख दिया गया है।

Chief Trustee
Jagannath Ram Singh (JRS) Memorial Trust
20/17, Indira Nagar, Lucknow

26. ट्रस्ट को मिली किसी भी चल अथवा अचल सम्पत्ति अथवा नगद दान की रसीद मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दान देने वाले व्यक्ति को उसी समय लिखित दे दी जायेगी जिसके खोने अथवा गलत इस्तेमाल से ट्रस्टी पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा अथवा न ही वह व्यक्ति ट्रस्ट के किसी काम में कोई बाधा उत्पन्न करेगा।

27. ट्रस्ट का प्रारम्भिक कोश ग्यारह हजार (11,000/-) रूपये हैं जिस पर स्टाम्प एक्ट के अनुच्छेद 64 के तहत रूपये 1,000/- स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

समक्ष गवाहान दुरूस्त होशोहवास में पक्षकार ने दिनांक 23/01/2012 को अपने हस्ताक्षर कर न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) का निष्पादन किया जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है इस विलेख का संचालन दिनांक 23/01/2012 को किया गया।

गवाहान –

1. उमेश कुमार मिश्रा
पु० चक्रधर मिश्रा
1/408 देवनगर लखनऊ

2. ओंकार नाथ सिंह
एड०
लखनऊ

पक्षकार/निष्पादक

टाईपकर्ता

(अविनाश प्रताप सिंह)

मसविदाकर्ता :-

(ऑकार नाथ सिंह)
अधिवक्ता
सदर तहसील, लखनऊ

Chief Trustee
Jagannath Bux Singh (JBS) Memorial Trust
20/177, Indira Nagar, Lucknow

न्यासी

Registration No.: 34 Year: 2,012 Book No.: 4

0101 जगन्नाथ बख्श सिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ट्रस्टी अजय कुमार सि

स्व जगन्नाथ बख्श सिंह

20/177 इन्दिरा नगर लखनऊ

व्यापार

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा-32-ए,

के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स्

निष्पादक कर्ता का नाम व पता - अंगद कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ बख्श सिंह निवासी-20/177, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

निष्पादक कर्ता के हस्ताक्षर

Chief Trustee
Jagannath Bux Singh (JBS) Memorial Trust
20/177, Indira Nagar, Lucknow

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0
बाराबंकी

के0डी0 सिंह बाबू मार्ग,
नियर कमला नेहरू पार्क,
बाराबंकी–225001
Email ID-ed3barabanki@gmail.com

पत्रांक– L / भूकम्प AE-III दिनाँक– 05 / 01 / 2023

प्रमाण–पत्र

मुख्य ट्रस्टी जे0बी0एस0 इन्स्ट्रीटयूट ऑफ फार्मेसी बन्दी का पुरवा, तिन्धवानी, बाराबंकी के पत्रांक–15/JBS/MEMORIAL/2021 दिनांक– 30.12.2022 द्वारा दिये गये आवेदन के क्रम में भवन का स्थलीय निरीक्षण सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। कार्य स्थल पर निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखो के अनुसार भवन के निर्माण कार्य का मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन एन0बी0सी0–2016 के मानको के अनुरूप तैयार की गयी है।

इस भवन का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के दिशा निर्देशो या निरीक्षण में नही हुआ है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यालय भवन प्रथम दृष्टया देखने से सुरक्षित प्रतीत होता है एवं एन0बी0सी0–2016 मानको के अनुरूप निर्मित है।

यह प्रमाण–पत्र भूकम्प रोधी हेतु मान्य है।

05/01/2023
सहायक अभियन्ता (तृतीय)
निर्माण खण्ड–3, लो0नि0वि0,
बाराबंकी

Sno. 19 500kb.

महोदय

संलग्न आवेदन पत्र गाटा संख्या 190 व 193 के गाटो की संयुक्त पैमाइश हेतु व नजरी नक्शा एवं मार्ग की चौड़ाई के लिये करने की आख्या निम्न है।

ग्राम नि. [illegible] परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी के गाटा संख्या 190 क्षेत्रफल 1.307 राम खेलावन पुत्र महादेव नि० [illegible] मजरे नि. [illegible] के नाम अंकित कागजात है व गाटा संख्या 193 मि० क्षेत्रफल 0.314 [illegible] लि० जे० बी० [illegible] नि. [illegible] बाराबंकी द्वारा जे० बी० एस० मेमोरियल ट्रस्ट [illegible] 1993 [illegible] [illegible] सिंह [illegible] सिंह नि० 20/1993 [illegible] के नाम दर्ज कागजात है एवं गाटा संख्या 193 मि० [illegible] 143 [illegible] जोन चाली है एवं गाटा संख्या 190 [illegible] है जिसमें खेती का कार्य किया जा रहा है एवं गाटा संख्या 190 व 193 आपस में मिले हुए है नजरी नक्शा साथ में संलग्न है। [illegible] आख्या प्रेषित।

लेखपाल
नि-[illegible]
31/12/15

[illegible]
31-12-15

अग्रसारित
[signature]
02.1.16
नायब तहसीलदार
देवा, बाराबंकी

Sno16 5wk6

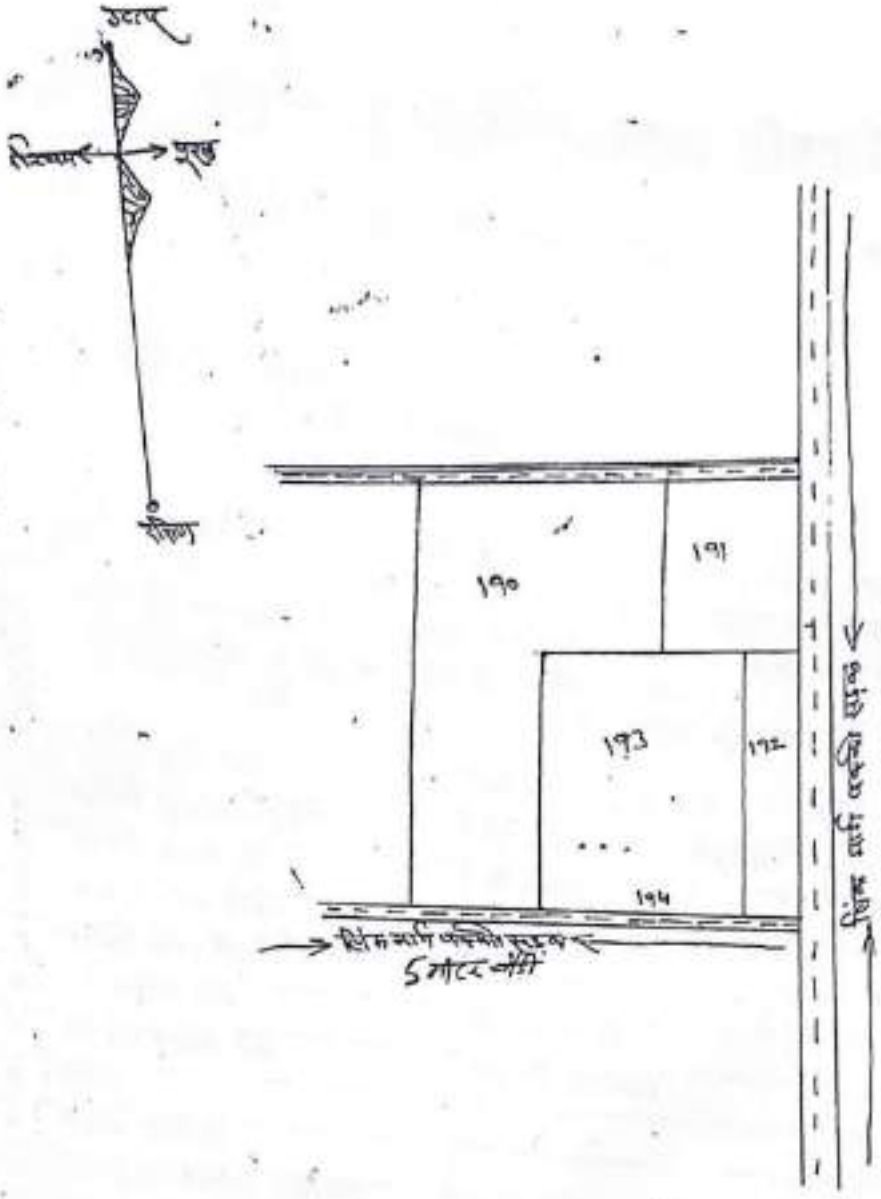

ग्राम- तिन्दुवानी परगना- देवॉ तहसील

12/2/14

तहसीलदार
नवाबगंज, बाराबंकी

आनंद कुमार सिंह

दूरभाष - 05278-245957
फैक्स - 05278-248123

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

पत्रांक संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2019 / 11255 दिनांक : 25/5/ , 2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
जे0बी0एस0 इंस्टीट्यूट,
बन्दी का पुरवा, तिन्धवानी, बाराबंकी।

Sno 24

महोदय,

मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि कुलपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–2 (13) के अन्तर्गत दिनांक: **24–04–2018** को आपके महाविद्यालय की नवगठित प्रबन्ध समिति जो निम्नोक्त है, पर सहर्ष अनुमोदन प्रदान कर दिया है। **प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दिनॉक: : 24–04–2018 से 23–04–2023 तक विधिमान्य होगा।**

क.	नाम	पिता / पति का नाम	पद
1	श्रीमती पूनम सिंह	श्री अंगद कुमार सिंह	प्रबन्धक / अध्यक्ष
2	श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी	श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी	उपप्रबन्धक
3	श्रीमती केसरी देवी	श्री के0पी0 सिंह	कोषाध्यक्ष
4	श्रीमती गुंजन निगम	श्री शैलेष निगम	सदस्य
5	श्रीमती सीमा सिंह	श्री राजीव सिंह	सदस्य
6	श्री अनुराग सिंह	श्री सूबेदार सिंह	सदस्य
7	श्री राम प्रकाश सिंह	स्व0 श्री उदयभान	सदस्य
8	प्राचार्य		पदेन सदस्य
9	शिक्षक प्रतिनिधि		पदेन सदस्य
10	शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि		पदेन सदस्य
	क्रम संख्या 09 एवं 10 चक्रानुक्रम से 01 वर्ष हेतु।		

महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का उपरोक्त अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत है कि प्रबन्ध समिति के अनुमोदन हेतु महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण / शपथ पत्र में भविष्य में कोई तथ्य त्रुटिपूर्ण / गलत पाया जाता है तो महाविद्यालय के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी जिसका दायित्व स्वयं महाविद्यालय का होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

6- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित

BARABA...

Swo 9.

दूरभाष – 05278-245917
फैक्स – 05278-248123

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,अयोध्या (उ0प्र0)

संख्या: लो0अ0वि0/सम्ब0/2019/718 दिनांक : 28-9-2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
जे0बी0एस0 इंस्टीट्यूट,
बन्दी का पुरवा, तिन्धवानी, बाराबंकी।

महोदय,

कुलपति महोदय, ने चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के आलोक में डॉ0 कान्ती शिखा पुत्री श्री लखन लाल वर्मा (10.08.1969) शैक्षिक योग्यता नेट/पी0एच–डी0, आधार कार्ड नं0 860256873929, पैन नं0 CQCPS5477D, मोबाइल नं0 9140451648 ई0मेल–kantisikha-6037@gmail.com के प्राचार्य पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार करते हुए स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर (जन्मतिथि के अनुसार 65 वर्ष तक मान्य होगा) उनके प्राचार्य पद पर अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि उक्त अनुमोदन पी0एच–डी0 सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटाग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्राचार्य के लिये अंशदायी भविष्य निधि(कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा उक्त अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है तो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि इस पत्र को महाविद्यालय की लाग–इन पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

6- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय ...

ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

DR. RAM MANOHAR LOHIA AWADH UNIVERSITY, FAIZABAD

FAIZABAD-224001

सन्दर्भ संख्या:AWADHUUNI/संब/ 2153 /2021

दिनांक 24/08/2021

अस्थायी (पाठ्यक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 24/08/2021) से JAGANNATH BUX SINGH (JBS) INSTITUTE, BANDI KA PURWA, TINDHWANI, BARABANKI को PG स्तर पर

	Course Name	Subject Name
1	MASTER OF ARTS (2021-2022)	EDUCATION
2	MASTER OF ARTS (2021-2022)	GEOGRAPHY
3	MASTER OF ARTS (2021-2022)	HOME SCIENCE

पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01/07/2021 से आगामी 02 वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1- संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को एक माह में पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30 ^^The Executive Council may direct a college not to admit students to a particulars class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction** की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जायगी।

2- यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा।

3- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

4- सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

5- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

6- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन

महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समयतः में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।

8- संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

9- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

10- रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

कुल सचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-..., उ०प्र० शासन, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Barabanki मण्डल.

4. प्रबन्धक, JAGANNATH BUX SINGH (JBS) INSTITUTE, BANDI KA PURWA, TINDHWANI, BARABANKI को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. परीक्षा नियंत्रक,JAGANNATH BUX SINGH (JBS) INSTITUTE, BANDI KA PURWA, TINDHWANI, BARABANKI, Barabanki

6. कुलसचिव कार्यालय।

7. सम्बन्धित पत्रावली।

कुल सचिव